

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-45/17

मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन,
टोल प्लाजा, मूंदी – सनावद हाईवे,
ग्राम जूनापानी सनावद,
तहसील सनावद, जिला – खरगोन (म0प्र0)

– आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बड़वाह (म.प्र.) ।

– अनावेदक

आदेश
(दिनांक 02.04.2018 को पारित)

01. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन, टोल प्लाजा, मूंदी – सनावद हाईवे, ग्राम जूनापानी सनावद, तहसील सनावद, जिला – खरगोन (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0387817 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 29.01.2018 प्रस्तुत किया गया है ।
02. विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00-45/17 में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।
03. विद्युत लोकपाल कार्यालय में इस प्रकरण के तहत दिनांक 15.02.2018 को सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से श्री व्ही.आर. कपूर एवं अनावेदक की ओर से श्री विशाल कर्मा, जूनियर इंजीनियर उपस्थित हुए ।
04. आवेदक द्वारा बताया गया कि फोरम से हमारे प्रकरण के संबंध में सुनवाई के नोटिस प्राप्त नहीं हुए जिस कारण से सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके तथा फोरम द्वारा हमारा

- पक्ष जाने बिना ही आदेश पारित कर दिया गया जिसकी प्रति भी हमें नहीं दी गई । हमें उनके कार्यालय से आदेश की प्रति प्राप्त करनी पड़ी जिससे अपील करने में बिलंब हुआ ।
05. आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका एक कनेक्शन 15 किलोवाट का टोल प्लाजा हेतु ग्राम जूनापानी तहसील बड़वाह में लिया गया है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं । आवेदक द्वारा बताया गया कि बार-बार सिस्टम में हाई वोल्टेज आने से उनके उपकरण जल जाते हैं । इसकी उनके द्वारा कई बार लिखित शिकायत भी अनावेदक के संबंधित कार्यालय में की गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई ।
 06. आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अभी भी रात्रिकालीन अवधि में निर्धारित सीमा से अधिक वोल्टेज प्राप्त हो रहा है जिसका कि भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है ।
 07. अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने पर विभिन्न तारीखों में आवेदक के परिसर में उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में वोल्टेज नापा गया तथा वोल्टेज निर्धारित सीमा में पाया गया । इस संबंध में उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई गई ।
 08. अनावेदक द्वारा इस संबंध में उक्त फीडर की एमआरआई प्रस्तुत की गई । परन्तु एमआरआई में वोल्टेज नहीं दर्शाया गया । अतः अनावेदक को निर्देशित किया गया कि सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 05.03.2018 को सितंबर 2017, दिसंबर 2017 एवं फरवरी 2018 की एमआरआई प्रस्तुत करें जिसमें शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के वोल्टेज को दर्शाया गया हो ।
 09. दिनांक 26.02.2018 को परिसर में नापें गए वोल्टेज का वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें की अनावेदक के टांगटेस्टर एवं विभाग के टांगटेस्टर में 5-8 वोल्ट का अंतर पाया गया ।
 10. आवेदक द्वारा भी 24 फरवरी, 2018 को दोपहर 3 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक के वोल्टेज लिए जाने का इमेज प्रस्तुत किया जिसमें कि उनके परिसर में वोल्टेज कितना प्राप्त हुआ था, स्पष्ट दिख रहा है ।
 11. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई जिसमें की मीटर द्वारा एक फेज पर अधिक वोल्टेज दर्शाया गया है मीटर की कार्य-प्रणाली को प्रयोगशाला में चेक करने का अनुरोध किया गया । जबकि भौतिक रूप से वोल्टेज लेने पर अधिकतम वोल्टेज 257 से 263 (फेज टू न्यूट्रल) प्राप्त हो रहा है, अतः एमआरआई में दर्शाया गया वोल्टेज संशय की स्थिति उत्पन्न करता है ।

12. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई में दर्शाए गए वोल्टेज संशय होने के कारण मीटर परीक्षण करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्हें सुनवाई की अगली तिथि 12.03.2018 के पूर्व मीटर का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
13. दिनांक 12.03.2018 को उभयपक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए तथा 05.03.2018 में दिए गए निर्देशानुसार आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (OE-1), जिसके अनुसार मीटर की कार्य-प्रणाली ठीक पाई गई तथा उसमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई ।
14. दिनांक 12.03.2018 को ही दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में परिसर में वोल्टेज प्राप्त होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए जो कि दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने स्तर से नापे गये। चूंकि वोल्टेज एक दूसरे की अनुपस्थिति में नापे गए थे, जिससे वे सहमत नहीं थे, इसलिए उभयपक्षों को संयुक्त रूप से परिसर में वोल्टेज नापकर दिनांक 20.03.2018 संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । दिनांक 20.03.2018 को उभयपक्ष उपस्थित हुए, परन्तु संयुक्त रूप से वोल्टेज आवेदक के परिसर में नहीं नापा गया, क्योंकि अनावेदक किसी कारणवश निश्चित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सकें । अतः उन्हें पुनः 02.04.2018 को संयुक्त रूप से वोल्टेज नापने हेतु निर्देशित किया । दिनांक 02.04.2018 को उभयपक्ष उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि दोनों के टांगटेस्टर से नापे गए वोल्टेज में काफी अन्तर आ रहा है, क्योंकि उपकरण ठीक से कैलीब्रीटेड (Calibrated) नहीं है, इसलिए उभयपक्ष ने निश्चित किया कि मीटर टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज से वे सहमत है, जिसको नापकर उनके द्वारा मौका पंचनामा प्रस्तुत किया गया (OE-2) ।
15. आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन दिनांक 22.09.2017 को मध्य रात्रि में हाई वोल्टेज होने से उनके उपकरण जल गए (OE-3) ।
16. आवेदक द्वारा बताया गया कि हाई वोल्टेज के कारण उपकरण जलने पर उनके द्वारा वोल्टेज को निर्धारित सीमा में मैनटेन करने हेतु बार-बार पत्र द्वारा कनिष्क यंत्री, सनावद से अनुरोध किया गया (OE-4 तीन पत्र) ।
17. आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निरंतर शिकायत किए जाने पर भी हाई वोल्टेज में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण उनके द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत

दर्ज की गई तथा उनका आवेदन अनुपस्थिति में खारिज करने के कारण विद्युत लोकपाल के यहां अपील की गई ।

18. विद्युत लोकपाल में की गई अपील की सुनवाई के दौरान उन्होंने समय-समय पर वोल्टेज निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज होने के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा हाई वोल्टेज होने से उनके जले हुए उपकरणों की क्षतिपूर्ति हेतु रू0 5,40,000/- अनावेदक से दिलाने हेतु अनुरोध किया है ।
19. अनावेदक द्वारा अपने पक्ष में सूचित किया है कि आवेदक के परिसर में दिनांक 22.09.2017 को उपकरण जलने के पश्चात् उनके द्वारा हर बार परिसर का वोल्टेज नापा गया, जो कि निर्धारित सीमा में पाया गया । इस संबंध में उनके द्वारा दस्तावेज (OE-5 चार पत्र) प्रस्तुत किए ।
20. आवेदक द्वारा 11 केवीए फीडर जो कि आवेदक को विद्युत प्रदाय करता है पर स्थापित एक अन्य कनेक्शन जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय को दिया गया, के परिसर में भी वोल्टेज नापा गया तथा उनसे पूछा कि क्या दिनांक 22.09.2017 को कोई उपकरण इत्यादि क्षतिग्रस्त हुआ है, परन्तु जवाहर नवोदय विद्यालय के परिसर में कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, इसका प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया (OE-6 दो पत्र) ।
21. अनावेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में विद्युत लोकपाल को अपने लिखित बयान प्रस्तुत किए (OE-7) हैं, जिसमें कि उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 6.40, 6.42, 6.43, 6.44 एवं 6.6 तथा 7.22 की कण्डिकाओं में दिए गए नियमों का पालन अपने परिसर की विद्युत स्थापना में नहीं किया गया । इस संबंध में उनके द्वारा मौका पंचनामा बनाकर प्रस्तुत किया है तथा बताया है कि उनके परिसर की विद्युत स्थापना में त्रुटि होने के कारण दिनांक 22.09.17 की मध्य रात्रि कोई फाल्ट आने से उनके विद्युत उपकरण जल गए होंगे । जबकि यदि 22.09.17 के बाद भी अनावेदक के अनुसार यदि उनके परिसर में हाई वोल्टेज प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में भी उनके उपकरण समय-समय पर पुनः जल जाने चाहिए थे, परन्तु दिनांक 22.09.17 के पश्चात् ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, जिससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.09.17 को विद्युत उपकरण जलने का कारण हाई वोल्टेज न होकर उनकी आंतरिक विद्युत स्थापना में फाल्ट आना है जिसके कारण उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके लिए अनावेदक जिम्मेदार नहीं हैं, अतः आवेदक का क्षतिपूर्ति का दावा खारिज किया जाए ।

22. उभयपक्षों के बयान, प्रस्तुत दस्तावेज, लिखित बहस से यह स्पष्ट होता है कि :-

(i) आवेदक के यहां स्थापित उपकरण दिनांक 22.09.2017 की मध्य रात्रि को आवेदक के कथनानुसार हाई वोल्टेज होने से जल गए ।

(ii) इसके पूर्व आवेदक द्वारा समय-समय पर हाई वोल्टेज की शिकायत अनावेदक को की गई (OE-4) ।

(iii) दिनांक 22.09.17 को उपकरण जलने के पश्चात् अनावेदक द्वारा भी अलग-अलग तिथियों में आवेदक की शिकायत प्राप्त होने पर वोल्टेज नापा गया एवं वोल्टेज निर्धारित सीमा के अन्दर ही मिला (OE-5) ।

(iv) दिनांक 31.03.2018 को उभयपक्ष की सहमति से मीटर टर्मिनल पर वोल्टेज दोनों फेज पर नापा गया जो कि क्रमशः 241 वोल्टेज, 252 वोल्टेज एवं 243 वोल्टेज प्राप्त हुआ (OE-8) ।

(v) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बयान (OE-7) के अनुसार आवेदक द्वारा परिसर में विद्युत स्थापना विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 6.40, 6.42, 6.43, 6.44 एवं 6.6, एवं 7.22 का पालन नहीं किया है इससे यह स्पष्ट है कि वोल्टेज के अलावा भी उनकी स्थापना में कोई आंतरिक फाल्ट होने से उनके यहां स्थापित उपकरण जले । आवेदक के कथनानुसार परिसर में निरन्तर दिनांक 22.09.17 के पश्चात् भी निरन्तर हाई वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, परन्तु उसके बाद कोई भी उनका उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं पाया गया और ना ही आवेदक द्वारा फिर से क्षतिपूर्ति की मांग की गई ।

(vi) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 3.2 के अनुसार निम्न दाब कनेक्शन में एकल फेज कनेक्शन पर फेज एवं न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्टेज तथा थ्री-फेज कनेक्शन में फेजों के मध्य 400 वोल्टेज की सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें कि ± 6 प्रतिशत के उतार-चढ़ाव मान्य हैं ।

(vii) दिनांक 31.03.2018 को मीटर टर्मिनल पर वोल्टेज नापने पर फेज एवं न्यूट्रल वोल्टेज आर फेज पर 241.15, वॉय फेज पर 252.2 एवं वी फेज पर 243.7 प्रतिशत पाया गया, जो कि निर्धारित वोल्टेज सीमा 230 से लगभग 6 प्रतिशत अधिक की सीमा में है, जो कि निर्धारित मान्य सीमा के अन्तर्गत है ।

(viii) उपरोक्त कथनों, दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 22.09.2017 की मध्य रात्रि में आवेदक के परिसर में स्थापित उपकरण क्षतिग्रस्त हुए केवल वोल्टेज अधिक होने के साथ-साथ आवेदक के परिसर की विद्युत स्थापना एवं

वायरिंग में कोई फाल्ट आने के कारण उपकरण क्षतिग्रस्त हुए होंगे, क्योंकि आवेदक के परिसर के निरीक्षण करने पर उनके विद्युत स्थापना में विद्युत प्रदाय संहिता 2003 की कण्डिका 6.40, 6.42, 6.43, 6.44 एवं 6.6, एवं 7.22 का पालन किया जाना नहीं पाया गया ।

(ix) अतः आवेदक के क्षतिपूर्ति दिलाने के दावे को अमान्य किया जाता है एवं अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवेदक को निर्धारित वोल्टेज के अनुसार विद्युत उपलब्ध हो ।

(x) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना-अपना वहन करेंगे ।

(xi) आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो ।

(xii) आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल